सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 95/दावा/2023 दायरा दिनांक :– 27.07.2023

GCMS ID–2023/297

1. केसरीलाल आ0 रामनारायण जाति नाई निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं आवंटन सलाहकार समिति हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 88, 89 रा0टि0 एक्ट के तहत अधिकार घोषणा

वकील वादी :– श्री महेश नामा
वकील प्रतिवादीगण :– परोकार सरकार

दिनांक :– 28/03/2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खतोनी संख्या 241 खसरा संख्या 1075 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1077 रकबा 0.3399 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6656 हैक्टेयर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेंता में विस्थित है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर सरकार हिस्सा पूर्ण जाति नील सा0देह अंकित हो रहा है। वाद का उक्त भूमि पर उसके पिता रामनारायण के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का उक्त भूमि पर विगत 50–60 वर्ष अधिक से कब्जा काश्त है। वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर सरकार हिस्सा पूर्ण जाति नील सा0देह होने से कृषि पर सरकार योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा वादी ही उक्त भूमि पर निरन्तर फसल हर सालों साल बोता जोता एवं काटता निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि पर हर वर्ष फसल बोता व काटता चला आ रहा है, उक्त भूमि से अन्य का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादी अत्यन्त गरीब काश्तकार है जिस पर मय परिवार आश्रित है तथा वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है। वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार सरकार हिस्सा पूर्ण जाति नील सा0 देह दर्ज होने से संयोग से विधि के अनुरूप भूमि का उपयोग, उपभोग नही कर पा रहा है तथा सरकारी योजना के लाभ से भी वंचित है इसलिए वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज सरकार हिस्सा पूर्ण जाति नील सा0 देह के अंकन को दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

वादी ने कई बार राजस्व अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक निवेदन कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार सरकार हिस्सा पूर्ण जाति नील सा0 देह को विलोपित कर खोतदार का ही नाम दर्ज करने का अनुरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई एवं दिनांक 17.09.2021 को वादी द्वारा राजस्व केम्प चेता में भी जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के यहॉ उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर जिला कलेक्टेर, महोदय बून्दी द्वारा उखण्डड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत के प्रकरण में दर्ज कर निस्तारण करने का आदेश दिया था और पटवार मण्डल चेंता से मौके व कब्जे की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट को तलब किया था जिस पर पटवार मण्डल चेंता द्वारा भी दिनांक 02.02.2022 को रिपोर्ट पेश की थी उसमे भी कब्जा काश्त वादी का ही बताया गया है, परन्तु उक्त इन्द्राज को अभी तक दुरूस्त नहीं किया गया है, इसलिए यही वादोत्पत्ति का कारण है, वादी के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ विधिवत रूप से वाद लाने से पहले 2 माह बाद नोटिस ही वाद पेश किया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का वाद अत्यावश्यक प्रकृति का हो गया है, इसलिए धारा 80(2) जा0 दी0 का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद अर्ज अनुमति ही श्रीमान को वाद पेश किया जा रहा है। वादी की उक्त भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वादी का उक्त वाद पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबी तलबाने पर श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की स्थायी निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा की डिक्री बमय खर्चा सादिर फरमायी जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेता के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के कॉलम में दर्ज सरकार हिस्सा पूर्ण जाति नील सा0 देह को विलोपित कर खातेदार का नाम जमाबंदी में दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को फरमाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद वादी स्वयं सिद्ध करें।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पी0डब्ल्यू–1 केसरीलाल नाई व पी0डब्ल्यू–2 गोविन्द कुमार लोधा का पेश किया। नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खतौनी संख्या 216 व जमाबंदी सम्वत 2076–2079 खतौनी संख्या 241, छायाप्रति नामान्तकरण खसरा 164 ग्राम ढगारिया, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 खतौनी संख्या 14 ग्राम बालापुरा पेश किये है।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम ढगारिया के खाता संख्या 241 के खसरा नम्बर 1075, 1077 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6556 हैक्टेयर पर सरकार खातेदार व मु0बि0क0 का इन्द्राज गलत हो रहा है। वादी के पूर्वजों ने न तो उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

को सरकार के रहन रखा है और ना ही सरकार ने उक्त भूमि वादी के पूर्वजों के नाम रहन रखी है। वादी उक्त भूमि पर पूर्वज व उनकी मृत्यु उपरान्त खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त अंकन अवैध व अशुद्ध होने से निरस्त योग्य है साथ ही वादी कब्जा मुखालफाना व कब्जा काश्त होने से कानूनन खातेदार वन चुका है। वादी द्वारा दिनांकः—17.09.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवार हल्का रिपोर्ट में भी जमावंदी सम्वत 2028 से 2047 में उक्त अंकन बाबत किसी प्रकार का विवरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना अंकित किया है। खातेदार सरकार व मु0बि0क0 का अंकन विलोपित कर वादी को खातेदार अंकित किया जावें।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, के आधार पर दावा वादी पूर्ण रूप से साबित होना पाया जाता है। वादी के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार बन चुके है। उपरोक्त तथ्यों से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 241 के खसरा संख्या 1075, 1077 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6556 हैकटेयर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेता जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में दर्ज सरकार खातेदार व मु0बि0क0 के इन्द्राज को विलोपित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सरकार खातेदार व मु0बि0क0 के इन्द्राज को राजस्व रिकोर्ड में से विलोपित किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446